



मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

कार्यालय आदेश

बी०एड० कॉलेजों के सम्बन्ध में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न मामले पर पारित आदेश तथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अधिषद की बैठक दिनांक 27/03/2011 के मद सख्या अन्यान 1 (एक) पर पारित आदेश के आलोक में मगध कॉलेज ऑफ एड्युकेशन, दुबहल, पो०-चाँद-चौरा, गया को N.C.T.E. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) से मान्यता जारी रहने तक एक वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 (एक सौ) नामांकन सीटों के साथ मगध विश्वविद्यालय, बोधगया सम्बन्धन देता रहेगा, लेकिन महाविद्यालय के विरुद्ध गुणवत्ता या शैक्षणिक एवं परीक्षा से सम्बन्धित किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच एक उच्च स्तरीय समिति से करायी जायेगी और शिकायत सही पाये जाने पर कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा N.C.T.E. को की जायेगी।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक सं० 5183/GIHA/B, Ed/15.2/Conte

दिनांक 15/02/2012

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-
1. सचिव/प्रधानाचार्य, मगध कॉलेज ऑफ एड्युकेशन, दुबहल, पो०-चाँद-चौरा, गया।
 2. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
 3. निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण), प्राथमिक, मध्यमिक एवं जनशिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
 4. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
 5. विशेष कार्य पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय, निकट - कॉलेज ऑफ कामर्स, पटना।

Principal

MAGADH COLLEGE OF EDUCATION
AT DUBHAL, GAYA, BIHAR-823001

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

15/2/12